"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 मई 2013—वैशाख 20, शक 1935

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2013

शुद्धिपत्र

क्रमांक ई-01-01/2013/एक/2.—इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-01-02-2013/एक/2, दिनांक 01-04-2013 के सरल क्र.-7 में "श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (1993)" के स्थान पर श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (1992) पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु सेन, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2013

क्रमांक ई 7-04/2008/1-2.—इस विभाग के समसंख्यक आनलाईन अर्जित अवकाश आदेश दिनांक 03-05-2012 द्वारा श्री मुकेश कुमार (भा.प्र.से.), कलेक्टर, जिला-कबीरधाम को दिनांक 02-05-12 से 05-05-2012 तक (04 दिवस) स्वीकृत किए गए अर्जित अवकाश को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 की कंडिका-19 के प्रावधान के अनुसार पितृत्व अवकाश में परिवर्तित किया जाता है.

—

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्रमांक ई 7-32/2004/2.—श्री अवध बिहारी, भा.प्र.से., तत्का. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय, रायपुर को दिनांक 08-10-2012 से 07-11-2012 तक (31 दिवस) लघुकृत अवकाश (कार्योत्तर) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री अवध बिहारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवध बिहारी अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. ताम्रकार, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2013

क्रमांक 182/97/2013/1-8/स्था.—श्री शशिकांत भार्गव काले, मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 27-12-2012 से 24-01-2013 तक 29 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री काले आगामी आदेश तक सामान्य प्रशासन विभाग में मुख्य लेखाधिकारी के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री काले को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री काले अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2013

क्रमांक 186/24/अव./2013/1-8/स्था.—श्री जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 24-12-2012 से 02-01-2013 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शुक्ला आगामी आदेश तक लोक निर्माण विभाग में उप-सचिव के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री शुक्ला को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2013

क्रमांक एफ 1-56/2012/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1996 (केन्द्रीय अधिनियम 1996 का 27) की धारा 40 एवं 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के परामर्श पश्चात्, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तो का विनियमन) नियम 2008 के नियम 272 के उप-नियम (1) के प्रारूप 28 में निम्नलिखित संशोधन करती है. यह संशोधन भूतलक्षीय प्रभाव अर्थात् दिनांक 08 मई 2008 से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

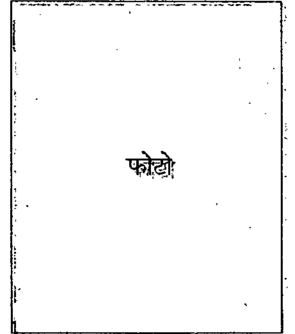
नियम 272 के उप-नियम (1) के प्रारूप 28 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रारूप प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

प्रारूप-28

[नियम 272 (1) देखिए]

हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र

1. नाम ....
2. विशेष पहचान संख्या ....
3. पिता/पति का नाम ....
4. पता ....
   (एक) वर्तमान पता ....
   (दो) स्थायी पता ....
   मो./फोन ....



5. जाति-अजा/अजजा/अन्य/सामान्य (जो लागू हो उस पर सही का चिन्ह लगावें)
6. आयु ....
7. विवाहित/अविवाहित/विधवा ....
8. नियोजन का विवरण :—

स. क्र.	नियोजक का नाम तथा पता	क्या काम किया	दिनों की संख्या जिसके लिये वास्तविक रूप से नियोजित रहा (कितने दिन काम किया)	नियोजक के हस्ताक्षर/पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकार संघ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				

9. परिवार का विवरण :—

परिवार के मुखिया का नाम	सदस्यों का विवरण (नाम)	परिवार के मुखिया से संबंध	आयु
(1)	(2)	(3)	(4)
		1. 2. 3. 4. 5.	

10. मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों .... पिता/पति.. को नामांकित करता हूं.

नामांकित व्यक्ति मेरा पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/माता/भाई/बहन/अन्य (विवरण दें) हैं, (जो लागू हो उस पर सही का चिन्ह लगावें.)

11. यह कि मेरे आवेदन पत्र के उपरोक्त विवरण या तथ्य, मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है, यदि मेरी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मैं सहायता राशि मंडल को वापस करने हेतु वचनबद्ध रहूंगा.

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

पंजीयन आदेश

आवेदन पत्र सत्य-असत्य के विवरण के सत्यापन के पश्चात् स्वीकृत/निरस्त किया जाता है."

श्रम निरीक्षक (हस्ताक्षर) ....
कार्यालय ....

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

No. F 1-56/2012/16.—In exercise of the powers conferred by Section 40 and 60 of the Building & Other Construction Worker's (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (Central Act No. 27 of 1996), the State Government, hereby, makes the following amendment in Form-XXVIII of sub-rule (1) of rule 272 of the Chhattisgarh Building and Other Construction Worker's (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008 after consultation with the Chhattisgarh Building and Other Construction worker's welfare Board. This amendment shall come into force with retrospective effect from May 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For Form-XXVIII of sub-rule 1 of rule 272, the following form shall be substituted, namely :—

FORM-XXVIII
[See rule 272(1)]

Application for Registration as Beneficiary

फोटो

1. Name ....
2. Number of Special Identity..
3. Name of Father/Husband ....
4. Address ....
(i) Current Address ....
(ii) Permanent Address ....
..............................M/Ph. No. ....

5. Caste SC/ST/OBC/Other General (Right with applicable)
6. Age ....
7. Married/Unmarried/Widow ....
8. Description of Employment :—

S. No.	Name and Address of employer	What work done	Number of days for which actually in employment	Signature of employer/ Registered Construction Workers Union
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				

9. Description of Family :—

Name of Family Head	Description Member (Name)	Relation of Family Head	Age
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		

10. I hereby nominated the following person/persons .... father/husband .... Nominated person/persons is my son/doughter/husband/wife/mother/brother/sister/other. (Give detail) (Right with applicable)

11. That the facts of above detail of my application are true and correct of my knowledge if my information is wrong. I will promise to return helping amount to the board.

Signature of Applicant/Mark of Thumb

Registration Order

Application sanction/cancel after verification of description true/false."

Labour Inspector (Signature) ....
Office ....
....

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G. R. MALVIYA, Deputy Secretary

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 10-22/2012/16.—राज्य शासन, एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार "असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल" में निम्नांकित संशोधन अंत:स्थापित करती है :—

"छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के श्रमिकों के प्रतिनिधि के रिक्त स्थान पर श्री अश्वनी निर्मलकर, अध्यक्ष, हम्माल मजदूर संघ, रायपुर को मनोनीत किया जाता है."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2013

क्रमांक एफ 1-5/2008/11/(6).—भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 (1932 का नंबर-9) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-5/2008/11/(6), दिनांक 28-01-2013 में आंशिक संशोधन करते हुए सारणी के कॉलम (2) में दर्शित अधिकारियों के अवकाश अवधि में लिंक अधिकारी निम्नानुसार नियुक्त करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	अवकाश अवधि में लिंक अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्री अजय चौबे, सहायक पंजीयक छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) बस्तर संभाग एवं भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत रायपुर/बस्तर संभाग के फर्म पंजीयन/अन्य धाराओं के अधिकार.	श्री डी. एल. धुर्वे, सहायक पंजीयक
2.	श्री डी. एल. धुर्वे, सहायक पंजीयक छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) रायपुर संभाग	श्री अजय चौबे सहायक पंजीयक
3.	श्री आर. आर. राजभानु, सहायक पंजीयक छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) बिलासपुर/सरगुजा संभाग एवं भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत बिलासपुर/सरगुजा संभाग के फर्म पंजीयन/अन्य धाराओं के अधिकार.	श्री अजय चौबे सहायक पंजीयक

लिंक अधिकारियों को सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उक्त अधिनियम की शक्तियां होगी.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2013

क्रमांक एफ 1-5/2008/11/(6).—छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) क्रमांक 44 सन् 1973 की धारा 4 की उपधारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-5/2008/11/(6), दिनांक 28-01-2013 में आंशिक संशोधन करते हुए सारणी के कॉलम (2) में दर्शित अधिकारियों के अवकाश अवधि में लिंक अधिकारी निम्नानुसार नियुक्त करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	अवकाश अवधि में लिंक अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्री अजय चौबे, सहायक पंजीयक छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) बस्तर संभाग एवं भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत रायपुर/बस्तर संभाग के फर्म पंजीयन/अन्य धाराओं के अधिकार.	श्री डी. एल. धुर्वे सहायक पंजीयक
2.	श्री डी. एल. धुर्वे, सहायक पंजीयक छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) रायपुर संभाग	श्री अजय चौबे सहायक पंजीयक

(1)	(2)	(3)
3.	श्री आर. आर. राजभानू, सहायक पंजीयक छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) बिलासपुर/ सरगुजा संभाग एवं भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत बिलासपुर/सरगुजा संभाग के फर्म पंजीयन/अन्य धाराओं के अधिकार.	श्री अजय चौबे सहायक पंजीयक

लिंक अधिकारियों को सारणी के कॉलम (4) में विनिदिष्ट क्षेत्र में उसके कॉलम-03 में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की शक्तियां होंगी.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के निम्नांकित बायलरों को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

क्र. (1)	बायलर क्र. (2)	छूट की समयावधि (3)
1.	M.P./3542	दिनांक 12-01-2013 से 12-12-2013 तक अर्थात् 11 माह
2.	M.P./3522	दिनांक 31-01-2013 से 30-09-2013 तक अर्थात् 08 माह

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2013

क्रमांक एफ 1/13/दो गृह/भापुसे/2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. एस. बारा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, धमतरी/राजनांदगांव (छ.ग.) को दिनांक 28-03-2013 से दिनांक 03-04-2013 तक कुल (07 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा साथ ही दिनांक 27-03-2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. बारा आगामी आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, धमतरी/राजनांदगांव (छ.ग.) के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पी. एस. बारा को वही वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बारा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. उक्त अवकाश अवधि में श्री जे. के. थोराट, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, नक्सल अभियान, कांकेर (छ.ग.) वर्तमान पद के अपने कार्य के साथ-साथ पुलिस उप महानिरीक्षक, धमतरी/राजनांदगांव (छ.ग.) कार्य भी संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2013

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ 1/38/दो-गृह/भापुसे/2012.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06-03-2013 श्रीमती सोनल व्ही. मिश्रा, भापुसे, (तमिलनाडु 2000) पुलिस अधीक्षक, विशेष आसूचना शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 25-03-2013 से 14-04-2013 तक कुल 19 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्रीमती मिश्रा को दिनांक 25-03-2013 से 14-04-2013 तक के अर्जित अवकाश के स्थान पर दिनांक 22-04-2013 से 17-05-2013 तक कुल 26 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही श्रीमती मिश्रा को उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 अप्रैल 2013 तथा 18, 19 मई 2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. आदेश दिनांक 06-03-2013 की शेष शर्तें यथावत् रहेगी.

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2013

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ 1/38/दो-गृह/भापुसे/2012.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01-04-2013 द्वारा श्रीमती सोनल व्ही. मिश्रा, भापुसे, (तमिलनाडु 2000) पुलिस अधीक्षक, विशेष आसूचना शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 22-04-2013 से 17-05-2013 तक (कुल 26 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्रीमती मिश्रा को दिनांक 22-04-2013 से 17-05-2013 तक के अर्जित अवकाश के स्थान पर दिनांक 10-04-2013 से 10-05-2013 तक कुल 31 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही श्रीमती मिश्रा को उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12-05-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

3. आदेश दिनांक 01-04-2013 की शेष शर्तें यथावत् रहेगी.

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2013

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ 1/48/दो-गृह/भापुसे/2001.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30-01-2013 श्री गिरधारी नायक, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छ.ग. रायपुर को दिनांक 02-02-2013 से 13-02-2013 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री नायक को दिनांक 02-02-2013 से 13-02-2013 तक के अर्जित अवकाश के स्थान पर दिनांक 02-02-2013 से 12-02-2013 तक कुल 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

3. आदेश दिनांक 31-01-2013 की शेष शर्तें यथावत् रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक/एफ 12-04/15-02/2011/1061 नया रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2013

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में उन्नयन हेतु योजना 2013

प्रस्तावना :— प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी सोसायटियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. सहकारी सोसायटियों द्वारा वर्तमान में किसानों को साख सुविधा, अमानत संकलन, रसायनिक खाद-बीज वितरण/कमीशन एजेन्ट के रूप में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है. इन सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी के रूप में विकसित करने से प्रदेश की ग्रामीण जनता को सीधे लाभ प्राप्त होगा.

1. **उद्देश्य :—** सोसायटियों द्वारा बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को नियंत्रित उपभोक्ता वस्तुओं के साथ-साथ अनियंत्रित उपभोक्ता वस्तुएं जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक मांग है, सही दरों पर निर्धारित गुणवत्ता की सामग्री प्राप्त हो सकेगी. इसके अतिरिक्त अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिये उपयोगी सेवाएं भी इन सोसायटियों से प्राप्त की जा सकेगी.

2. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :—**
   i. यह नियम प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में उन्नयन हेतु नियम-2013 कहलायेगा.
   ii. यह नियम 1 अप्रैल 2012 से प्रभावशील होगा.
   iii. इसका विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में स्थित समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी हेतु होगा.

3. **परिभाषाएं :—**
   i. **प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी :—** ऐसी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी जो कृषि उत्पादन के लिये उधार उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से संगठित की गई है और उसके अंतर्गत प्राथमिक सेवा सहकारी सोसायटी कृषक सेवा सहकारी सोसायटी एवं वृहत्ताकार सहकारी सोसायटी और आदिमजाति सोसायटी शामिल है.
   ii. **बैंक :—** बैंक से अभिप्राय छ.ग. राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से है.

iii. **नाबार्ड :—** नाबार्ड से अभिप्राय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से है.

iv. **पंजीयक :—** पंजीयक का अभिप्राय सहकारी संस्थाओं के पंजीयक से है और उसमें सम्मिलित है, सहकारी संस्थाओं के अपर पंजीयक संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो नियम में वर्णित बैंक एवं नियम में वर्णित संस्था के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत है.

4. **पात्रता :—**

i. अनुदान/ऋण (वर्किंग केपिटल)/धनवेष्ठन की पात्रता उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों को होगी जो जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक से सम्बद्ध होंगे.

ii. बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी विकसित करने हेतु एक सोसायटी को अधिकतम वित्तीय सहायता की पात्रता राशि रुपये 10.00 लाख होगी.

iii. इस योजना के अंतर्गत पात्र समिति को केवल एक बार ही वित्तीय सहायता देय होगी.

5. **प्रोजेक्ट रिपोर्ट :—**

i. एक बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी के रूप में विकसित करने हेतु अपनाई जाने वाली गतिविधियों के संबंध में प्रत्येक सोसायटी को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सोसायटी के संचालक मण्डल से स्वीकृत करानी होगी. स्वीकृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अपनाई जाने वाली गतिविधि अनुसार अधिकतम राशि रुपये 25.00 लाख की होगी. जिसमें राशि रुपये 10.00 लाख राज्य शासन की वित्तीय सहायता तथा शेष राशि सोसायटी को स्वयं के साधन से अथवा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक/छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त कर लगानी होगी. नाबार्ड से इस कार्य हेतु पुनर्वित्त सुविधा भी बैंकों को उपलब्ध होगी.

ii. सोसायटी द्वारा अपनाई जा सकने वाली गतिविधियों की सूची निम्नानुसार है :—

(1) उपभोक्ता सामग्री :— जैसे साबुन, खाद्य तेल, चायपत्ती, माचिस, दन्त मंजन, इत्यादि एवं अन्य आवश्यक वस्तुए.
(2) इलेक्ट्रीकल सामग्री :— बल्ब, सेल, टार्च आदि.
(3) भवन निर्माण सामग्री :— सीमेन्ट, रेत, ईंट, छड़ आदि.
(4) वस्त्र :— धोती, कुर्ता, साड़ी एवं अन्य रेडीमेट वस्त्र.
(5) अन्य दैनिक उपभोक्त सामग्री जो समिति आवश्यक समझे.
(6) इसके अतिरिक्त अन्य सेवा कार्य जो सोसायटी के कार्यक्षेत्र की मांग के अनुसार आवश्यक होंगे.

वस्तुओं के बिक्री का मूल्य वस्तुओं में अंकित अधिकतम मूल्य (MRP) से अधिक नहीं होगा एवं जिन वस्तुओं में मूल्य अंकित नहीं है उनमें सोसायटी खरीदी दर पर न्यूनतम मार्जिन छोड़कर उचित मूल्य पर विक्रय करेंगी.

6. **आहरण एवं भुगतान की प्रक्रिया :—**

i. प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी को वित्तीय सहायता की पात्रता के अनुसार पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को प्रस्तुत करेगी. राज्य सहकारी बैंक वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त प्रस्तावों का संकलन कर राशि आहरण हेतु पंजीयक से स्वीकृति प्राप्त करेगा.

ii. वित्तीय सहायता के लिए आवश्यक बजट का प्रावधान सहकारिता विभाग द्वारा किया जावेगा.

7. **उपयोगिता प्रमाण-पत्र :—** वित्तीय सहायता का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ज़िले के संयुक्त/उप/सहायक/पंजीयक द्वारा सत्यापित कराकर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रस्तुत किया जावेगा.

8. विविध :—

i. राज्य शासन/पंजीयक को इस नियम के सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिये आवश्यक प्रशासनिक मार्गदर्शन, निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा.

ii. इस नियम के संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन को होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्रमांक 2543/976/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विधि स्नातक छात्र जो पांच वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें लॉ इन्टर्न/रिसर्च असिस्टेंट के रूप में विधि एवं विधायी कार्य विभाग में पूर्व में नियुक्त 04 पदों को सम्मिलित करते हुए छ.ग. शासन के विभिन्न विभागों में सहायता के लिये पारिश्रमिक रुपये 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) मासिक मानदेय पर नियुक्ति किये जाने हेतु कुल तेरह (13) लॉ इंटर्न/रिसर्च असिस्टेंट के पदों के सृजन की सहमति प्रदान करता है.

यह सहमति छ.ग. शासन, वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 135/वित्त विभाग/ब-3/2013 दिनांक 28-03-2013 द्वारा प्रदान की गई है. यह आदेश दिनांक 01-04-2013 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 4th April 2013

F. No. 2697/XXI-B/C.G./2013.—In exercise of the powers conferred by Section 32 (1) of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (Act No. 32 of 2012) the State Government, hereby, appoints Public Prosecutor of each district as Special Public Prosecutor to conduct cases instituted under the provisions of the said Act.

Raipur, the 5th April 2013

CORRIGENDUM

No. 2722/XXI-B/C.G./2013.—Regarding "Order No. 2308/911/XXI-B/2012 dated 22-03-2012" of this department the following corrigendum is issued, namely :—

1. On the right side of the head of the Order "dated 22-03-2012" be read as "Dated 22-03-2013".

2. In the first line of the Order "No. 2308/911/XXI-B/2012" be read as "No. 2308/911/XXI-B/2013".

3. The designation "Additional Secretary" below the Order and above the endorsement be read as "Secretary".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUSHMA SAWANT, Additional Secretary.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 1-63/2012/23.—श्री अमिताभ पाण्डा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, आयुक्त-सह-संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, रायपुर को दिनांक 02-04-2013 से 06-04-2013 (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 07-04-2013 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अमिताभ पाण्डा, आगामी आदेश तक आयुक्त-सह-संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय रायपुर, के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अमिताभ पाण्डा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमिताभ पाण्डा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

FINANCE DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Naya Raipur, the 11th March 2013

No./F 2-13/2013/Est/Four.—Whereas, clause (c) of Section 2 of the Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978 (Act No. 43 of 1978) (hereinafter referred to as 'Act') defines 'money circulation scheme' as any scheme by whatever name called for making of quick or easy money, or for receipt of any money or valuable thing as the consideration for a promise to pay money, on any event or contingency, relative or applicable to the enrollment of members into the scheme, whether or not such money or thing is derived from the entrance money of the members of such scheme or periodical subscriptions.

And Whereas, Section 3 of the said Act inter alia bans such money circulation schemes; and instances have come to light where money circulation schemes are being introduced in disguised forms under the garb of selling goods or services wherein, the promoters and the upline subscribers make quick and easy money at the expense of the interest of downline subscribers.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Act, the State Government, hereby, makes the following Rules in consultation with Reserve Bank of India for the purpose of carrying out the provisions of the Act, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.—**
   (1) These rules may be called the Money Circulation Schemes (Banning) Rules, 2013.

   (2) The rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—**
   (1) In these rules unless the context otherwise requires,—
   (a) 'Act' means the Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978 (Act No. 43 of 1978);

(b) 'Compensation Plan' means plans whether explicitly stated or not, but put in practice by the business entities for distribution of benefits to the subscribers;

(c) 'Competent Authority' means authority notified by the State Government for winding-up of the business entities indulging in money circulation schemes and perform other tasks as assigned by the State Government in order to implement the Act;

(d) 'Downline Subscriber' means a subscriber who is at a lower level in the pyramid;

(e) 'Enrollment' means a subscriber enrolling one or more subscribers;

(f) 'Money Circulation Scheme' includes a scheme which is used for making of quick or easy money in disguise of such scheme as a scheme for sale of products or providing or claiming to provide certain goods or services etc.;

(g) 'Nodal Police Authority' means police authority in the State notified by the State Government and entrusted with the responsibility of collecting, collecting and sharing information with other States, Central Government, Reserve Bank of India and other concerned authorities regarding money circulation schemes;

(h) 'Promoter' means a person or persons who conduct disguised money circulation schemes and includes heirs, assignees etc. of the persons who promote business entities running disguised money circulation schemes. It also includes persons who actually control the operations of such schemes even though they may not be on record acting as promoters of the business entities;

(i) "Pyramid' means a multi-layered network of subscribers to a scheme formed by subscribers enrolling one or more subscribers in order to receive any benefit, directly or indirectly, as a result of enrollment, action or performance of additional subscribers to the scheme. The subscribers enrolling further subscriber(s) occupy higher position and the enrolled subscriber(s) lower position, thus, with successive enrollments, they form multi-layered network of subscribers;

(j) 'Section' means a Section of the Act;

(k) 'Subscriber' means a subscriber by whatever name called to a Money Circulation Scheme including disguised Money Circulation Scheme;

(l) 'Upline Subscriber' means subscriber who is at a higher level in the pyramid.

2. Words and expressions used in these rules but not defined herein shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. No individual or company or firm or business association, in any form, shall promote, run or participate in the money circulation scheme including a disguised money circulation scheme as defined in Rules 2 (f).

4. No individual or Comany or firm or business association, in any form, shall run a scheme with a compensation plan in which the subscribers have to enroll one or more subscribers to become entitled to certain benefits, directly or indirectly, as a result of enrollment, action or performance of additional subscribers.

5. No individual or company or firm or business association, in any form, shall run a scheme that induces enrollment of new members by offering benefits or commission, by whatever name called, to upline members in the pyramid out of the action or performance like sale or purported sale of goods or services by the downline members.

6. No individual or company or firm or business association, in any form, shall run a scheme with a compensation plan which envisages receipts of deposits or entry fee or periodical subscription and gives incentive to subscribers out of these funds for enrollment of new subscribers.

7. The Nodal Police Authority in a State shall be responsible for co-ordinating with other State Governments, the Central Government and the agencies concerned under such Government and the Reserve Bank of India and shall also be responsible for furnishing the information to the Reserve Bank of India in the format and periodicity as decided by the State Government in consultation with the Reserve Bank of India.

Explanation.— This does not debar the investigating agencies from interacting with other State Governments and other agencies for the purpose of investigation.

8. The Competent Authority shall be responsible for taking all necessary action in connection with the winding-up of companies/firms/business associations in any form indulging in Money Circulation Schemes including disguised Money Circulation Schemes.

9. The Promoters of Money Circulation Schemes shall be personally liable even if such schemes are run by companies registered under the Companies Act, 1956 or other business entities carrying limited liability.

10. On a report received from the investigating officer and on being satisfied that prima-facie evidence exists, that a money circulation scheme including disguised money circulation scheme is being operated, an officer not below the rank of Superintendent of Police or other officers as notified by the State Government in this regard, may order sealing of the business premises and offices connected with such schemes, suspend operations of the bank accounts connected with such schemes and take such other action as required for closure of business operations pertaining to such schemes.

11. On conclusion of the investigation, if adequate evidence exists that a money circulation scheme is being run by a company or firm or business association in any form, the investigating officer, apart from prosecuting the case under the Prize Chit and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978, shall forward a report giving details of the evidence collected during the investigation through the Superintendent of Police concerned to the Competent Authority in the State as defined under Section 2(c). The Competent Authority shall take action for winding-up such businesses in cases where the power to initiate winding-up the business entity is vested in the State Government. In case of companies and other business entities where such powers is vested in the Central Government, the Competent Authority shall forward a report with its recommendations to the concerned Ministry in the Central Government for initiating action for winding-up of the company.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C. J. KHATRI, Joint Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 1-35/2010/32.—यत: छत्तीसगढ़ निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 की धारा 4 के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 मई, 2010 द्वारा श्री सुभाष राव को आगामी आदेश पर्यन्त अथवा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष जो भी पहले हो, की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था;

2. और यत: श्री राव की अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के पद की तीन वर्ष की अवधि दिनांक 26-05-2013 को पूर्ण हो रही है;

3. अत: राज्य शासन, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण अधिनियम, 1972 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री सुभाष राव को दिनांक 27-05-2013 से अन्य आदेश तक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के पद पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 19 मार्च 2013

भू-अर्जन प्र.क्र. 01/अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखिंत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	पलारी	सलौनी प. ह. नं. 32	1.358	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर (छ.ग.)	राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 19 मार्च 2013

भू-अर्जन प्र.क्र. 06/अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	लिमाही प. ह. नं. 16	1.030	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार (छ.ग.)	बलौदाबाजार बाई पास मार्ग निर्माण हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 19 मार्च 2013

भू-अर्जन प्र.क्र. 07/अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	मगरचबा प. ह. नं. 16	2.350	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार (छ.ग.)	बलौदाबाजार बाई पास मार्ग निर्माण हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 19 मार्च 2013

भू-अर्जन प्र.क्र. 08/अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	सकरी प. ह. नं. 16	7.040	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार (छ.ग.)	बलौदाबाजार बाई पास मार्ग निर्माण हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 19 मार्च 2013

भू-अर्जन प्र.क्र. 09/अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	पनगांव प. ह. नं. 19	3.894	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार (छ.ग.)	बलौदाबाजार बाई पास मार्ग निर्माण हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 30 मार्च 2013

भू-अर्जन प्र.क्र. 03/अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	परसाभदर प. ह. नं. 10	6.421	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार जिला- बलौदाबाजार - भाटापारा (छ.ग.)	बलौदाबाजार बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 30 मार्च 2013

भू-अर्जन प्र.क्र. 04/अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	रिसदा प. ह. नं. 13	5.821	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार जिला- बलौदाबाजार - भाटापारा (छ.ग.)	बलौदाबाजार बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 30 मार्च 2013

भू-अर्जन प्र.क्र. 05/अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	गोड़खपरी प. ह. नं. 15	1.363	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार जिला- बलौदाबाजार - भाटापारा (छ.ग.)	बलौदाबाजार बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 30 मार्च 2013

भू-अर्जन प्र.क्र. 10/अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	दशरमा प. ह. नं. 15	8.242	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार जिला- बलौदाबाजार - भाटापारा (छ.ग.)	बलौदाबाजार बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

गरियाबंद, दिनांक 18 जून 2012

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 01-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	मटिया	214/1	0.01	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल जलप्लावन योजना के मुख्य नहर बाबत्.
			217/1	0.01		
			214/2	0.01		
			214/4	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			215	0.32		
			216/1	0.05		
			220	0.32		
			221	0.05		
			222/1	0.42		
			223	0.03		
			224	0.62		
		योग	11	1.85		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 18 जून 2012

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 02-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	मुनगापदर	15/1	0.46	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल जलप्लावन योजना के मुख्य नहर हेतु.
			16/1	0.03		
			51/1	0.58		
			50/1	0.32		
			49	0.13		
			48/1	0.24		
			46/2	0.26		
			59/1	0.16		
			45	0.15		
			46/3	0.13		
			59/2	0.19		
			47	0.04		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			44/1	0.98		
			60	0.27		
			61	0.16		
			62	0.24		
			70/3	0.17		
			63	0.13		
			65	0.10		
			80	0.32		
			98	0.01		
			83	0.36		
			82	0.03		
			84/1	0.24		
			84/2	0.13		
			84/3	0.20		
			85	0.26		
		योग	27	6.29		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 18 जून 2012

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 03-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	गाड़ाघाट	232/2	0.05	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल जलप्लावन योजना के मुख्य नहर हेतु.
			232/1	0.50		
			226/1	0.13		
			225	0.01		
			230	0.12		
			226/3	0.23		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			223	0.11		
			661	0.09		
			663	0.07		
			662	0.12		
			664	0.04		
			669	0.08		
			713	0.42		
			714	0.19		
			649	0.24		
			650	0.01		
			736	0.03		
			648	0.12		
			647	0.16		
			644	0.12		
			643	0.11		
			641	0.16		
			640	0.16		
			845	0.31		
			846	0.41		
			964	0.14		
			970	0.08		
			965	0.01		
			963	0.22		
			962	0.01		
		योग	30	4.45		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 18 जून 2012

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 04-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	लदरा	605/4	0.04	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल जलप्लावन योजना के मुख्य नहर हेतु.
			605/5	0.21		
			605/3	0.03		
			604	0.02		
			603	0.15		
			602	0.01		
			601/2	0.28		
			601/1	0.02		
			562	0.88		
			586/1	0.01		
			563	0.01		
			564/1	0.04		
			561	0.08		
			555	0.58		
			648	0.17		
			547	0.02		
			642	0.23		
			644	0.01		
			643	0.18		
			647	0.07		
		योग	20	3.04		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 18 जून 2012

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 05-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	डुमरपीटा	60	0.08	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल जलप्लावन योजना के मुख्य नहर हेतु.
			67	0.17		
			62	0.65		
			55	0.16		
			63	0.27		
			65	0.03		
			64	0.03		
			66	0.06		
			68	0.01		
			50	0.48		
			44	0.17		
			45/2	0.10		
			347	0.01		
			348	0.16		
			350/2	0.22		
			350/1	0.70		
			441	0.16		
			439	0.11		
			438	0.01		
			440	0.14		
			437	0.83		
			357	0.02		
		योग	22	**4.57**		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 18 जून 2012

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 06-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	सितलीजोर	39/2	0.17	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल जलप्लावन योजना के मुख्य नहर हेतु.
			41	0.04		
			257	0.01		
			42	0.58		
			189/2	0.27		
			249/2	0.01		
			249/1	0.05		
			189/1	0.20		
			190	0.16		
			191/2	0.06		
			191/3	0.18		
			188	0.62		
			50/1	0.10		
			194	0.65		
			195	0.15		
			226	0.46		
			227	0.10		
			234	0.42		
			239/2	0.01		
			241	0.02		
			240	0.22		
			237	0.04		
			239/1	0.07		
			238	0.10		
			651	0.13		
		योग	25	4.82		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 18 जून 2012

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 07-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	कदलीमुड़ा	487	0.01	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल जलप्लावन योजना के मुख्य नहर हेतु.
			488/5	0.12		
			490	0.10		
			484/1	0.17		
			484/2	0.10		
			483	0.12		
			399	0.04		
			376	0.20		
			378	0.40		
			386/3	0.01		
			386/2	0.20		
			386/5	0.01		
			387	0.27		
			406	0.01		
			353	0.12		
			601	0.06		
			352	0.26		
			354	0.26		
			355/1	0.17		
			356/5	0.15		
			432/1	0.17		
			401	0.26		
			435	0.30		
			403	0.16		
			402	0.40		
			404	0.02		
			410	0.01		
			398/5	0.12		
			495/5	0.01		
			496/6	0.01		
			398/7	0.20		
			497/3	0.07		
			396	0.12		
			397	0.28		
			495/3	0.14		
			496/2	0.10		
			523	0.08		
			524	0.14		
			525	0.16		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			520/14	0.05		
			526	0.39		
			527	0.03		
			520/13	0.02		
			520/10	0.07		
			520/9	0.01		
		योग	45	6.10		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 18 जून 2012

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 08-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	बरही	381	0.11	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	बरही व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं माइनर नहर बाबत्.
			378	0.16		
			379	0.17		
			375	0.35		
			362	0.82		
			331	0.09		
			145	0.09		
			348	0.12		
			253	0.12		
			347/2	0.40		
			308	0.31		
			347/1	0.13		
			324/1	0.39		
			257	0.15		
			325/1	0.20		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			325/3	0.20		
			328/6	0.13		
			318	0.42		
			292	0.47		
			141	0.14		
			286/3	0.05		
			319/1	0.20		
			291	0.26		
			326	0.11		
			307	0.44		
			190/3	0.09		
			310	0.06		
			290/1	0.62		
			281	0.16		
			286/2	0.03		
			286/1	0.06		
			286/6	0.08		
			97	0.05		
			96	0.07		
			93	0.15		
			92	0.07		
			91	0.11		
			327/3	0.17		
			327/2	0.10		
			327/1	0.10		
			328/2	0.09		
			214	0.15		
			259	0.07		
			254	0.10		
			213/2	0.04		
			231	0.10		
			212/3	0.03		
			190/1	0.10		
			213/1	0.02		
			205	0.15		
			138	0.15		
			191	0.11		
			139	0.11		
			146	0.06		
			147/1	0.03		
			148	0.03		
			129	0.06		
			117/391	0.09		
			46	0.05		
			117	0.04		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			118	0.11		
			34/1	0.16		
			45	0.11		
			33/3	0.01		
			212/2	0.02		
			255	0.01		
		योग	66	9.95		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 18 जून 2012

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 09-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गरियाबंद	देवभोग	सुकलीभाठा	168/2	0.02	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	बरही व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं माइनर नहर हेतु.
			168/3	0.35		
			168/4	0.06		
			390/5	0.13		
			169/1	0.37		
			174/1	0.02		
			170/1	0.53		
			349	0.11		
			198	0.20		
			197	0.10		
			199	0.15		
			211	0.14		
			212/1	0.18		
			213	0.23		
			216	0.04		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			212/2	0.04		
			220	0.06		
			259/1	0.40		
			258	0.07		
			257	0.07		
			256	0.04		
			343	0.16		
			8	0.12		
			345	0.22		
			374	0.33		
			309	0.22		
			350	0.34		
			152	0.14		
			366	0.16		
			305	0.05		
			348	0.04		
			364	0.27		
			375/3	0.28		
			389	0.28		
			355/1	0.11		
			390/4	0.05		
			393	0.07		
			408	0.10		
			410	0.10		
			409	0.31		
			394/3	0.18		
			394/1	0.07		
			405	0.07		
			406	0.15		
			398/4	0.25		
			398/1	0.02		
			398/3	0.14		
			399	0.13		
			336/1	0.14		
			139	0.09		
			143	0.08		
			41	0.07		
			335/1	0.20		
			317	0.01		
			329/1	0.14		
			322	0.30		
			325	0.16		
			321	0.04		
			308	0.12		
			151	0.20		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			304	0.16		
			2	0.02		
			3	0.26		
			4	0.16		
			6	0.13		
			7	0.05		
			153	0.12		
			39	0.13		
			146	0.02		
			140	0.07		
			42	0.07		
		योग	71	10.41		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./09/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	रावांभाठा प.ह.नं. 28	402/3	0.069	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-1, रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-200 (नया रा.रा.क्र.-30) 9/6 से 15/6 तक तथा पुराना खमतराई आर.ओ.बी. से भनपुरी से धनेली तक 6-लेन सी.सी. रोड निर्माण हेतु.
			402/1	0.068		
		योग	2	0.137		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 12 फरवरी 2013

रा.प्र.क्र./05/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	हर्रामार	3.801	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	कोटछाल जलाशय योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर एवं उपनहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 फरवरी 2013

रा.प्र.क्र./06/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	महारानीपुर	4.114	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	महारानीपुर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर एवं उपनहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 फरवरी 2013

रा.प्र.क्र./07/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	कोट	7.655	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	कोट व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत ग्राम कोट के डुबान एवं मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 फरवरी 2013

रा.प्र.क्र./08/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	चिड़ापारा	2.209	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	महारानीपुर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत ग्राम चिड़ापारा का मुख्य नहर एवं उपनहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

मुंगेली, दिनांक 26 फरवरी 2013

रा. प्र. क्र. 02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-सेमरकोना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	286/1	0.05
	286/2	0.05
	286/3	0.05
योग	3	0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बेलसरी-सेमरकोना मार्ग के कि.मी. 1/4 पर आगर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 20 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-केवईया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.60 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	268/1	0.14
	269	0.36
	270	0.10
योग	3	0.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जरेली एनीकट तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 20 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-परसिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-16.46 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
10	8.00

(1)	(2)
17	0.99
18/1	2.10
18/2	2.07
19	0.30
21	0.18
24/1	0.29
20	0.45
25	0.16
23	0.30
24/2	0.29
26	0.17
28	1.16
योग	16.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनियारी बैराज योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 20 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-तुमाढेटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.03 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
7	0.68
208/1	0.10
208/2	1.00
208/3	0.74
208/4	1.67
208/5	2.00
208/6	2.48
222/1	0.20
240/3	0.20
222/2	0.20
240/2	0.06
222/3	0.20
240/1	0.30
241	0.20
योग	10.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनियारी बैराज योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 21 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-पण्डरियाझाप (कुकुसदा)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.54 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1397/1	0.27
1395	0.16

(1)	(2)
1428	0.15
1396/1	0.16
1396/2	0.18
1406	0.26
1405/1	0.26
1405/2	0.36
1410	0.33
1411, 1415	0.42
1414	0.12
1413/2	0.16
1413/4	0.16
1440/2	0.48
1439	0.29
1422	0.05
1423	0.19
1435	0.16
1437	0.32
1434	0.05
1436	0.50
1433/1	0.41
1433/2	0.10
योग	5.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमेरा-पण्डरियाझाप-मेड़पार मार्ग के कि.मी. 1/10 पर मनियारी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 21 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-जरेली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.14 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
242	0.35
243	0.10
244	0.65
245	0.04
योग	1.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केवईया एनीकट तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सूरजपुर, दिनांक 21 मार्च 2013

रा.प्र.क्र./5/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-भैयाथान
- (ग) नगर/ग्राम-तेलगांव, प.ह.नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 आरे

खसरा नम्बर	रकबा (आरे में)
(1)	(2)
800	0.08
योग 1	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र से कोल परिवहन के लिए रेल्वे साईडिंग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भैयाथान के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारती दासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 2 मार्च 2013

क्रमांक 8/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-कोंचरा, प.ह.नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.55 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
84/2	0.36
307, 308, 309	0.19
योग 4	0.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोगसरा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 मार्च 2013

क्रमांक 17/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-कलारतराई, प.ह.नं. 13/32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.17 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
669	0.02
670	0.37
724	0.31
720, 721	0.47
योग 5	1.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 मार्च 2013

क्रमांक 18/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-खुरदुर, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.48 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
9	0.31
16	0.08
17	0.20
19/1	0.38
19/2	0.32
20/2	0.03
20/3	0.38
30/7	0.08
30/1	0.14
32/1	0.13
39/1	0.19
40	0.16
47/2	0.18
45/2	0.38
51/1	0.13
53/3	0.21
52/3	0.29
84/1	0.11
85/1	0.17
88	0.16
90/1	0.15
90/2	0.16
89	0.07
109	0.28
108/3	0.12
108/1	0.21
108/4	0.25
108/5	0.03
108/2	0.12
116/4	0.13
116/5	0.05
117	0.02
164/13	0.16
164/9क	0.48
164/12	0.22
योग 45	6.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 12 अप्रैल 2013

क्रमांक/2605/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-गनेरी, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.101 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
19/1	0.049
19/2	0.081
14/1	0.040
153/2	0.065
153/4	0.008
153/5	0.105
150/1	0.053
150/2	0.073
151	0.020
176/2	0.089
176/3	0.008
177/1	0.142
14/2	0.129
14/4	0.049
141/1	0.020
141/2	0.008
177/2	0.061
14/3	0.101
योग 18	1.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के गनेरी सब माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड

बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2013

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/8408.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/3981 दिनांक 03-10-2011 द्वारा श्री विकास मिश्रा, उपसंचालक कृषि, को कृषि उपज मंडी समिति, बागबाहरा, जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

सचिव कृषि उपज मंडी समिति बागबाहरा के पत्र क्रमांक क्यू दिनांक 15-01-2013 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बागबाहरा में भारसाधक अधिकारी के पद पर पदस्थ श्री विकास मिश्रा, उपसंचालक कृषि का मुख्यालय महासमुन्द होने से मंडी कार्य में हो रही असुविधा के मद्देनजर श्री एन. आर. चन्द्रकार, अनुविभागीय अधिकारी कृषि, बागबाहरा को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री विकास मिश्रा, उपसंचालक (कृषि) को कृषि उपज मंडी समिति, बागबाहरा के भारसाधक अधिकारी हेतु जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/3981 दिनांक 03-10-2011 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री विकास मिश्रा, उपसंचालक कृषि के स्थान पर श्री एन. आर. चन्द्रकार, अनुविभागीय अधिकारी, कृषि बागबाहरा, जिला-महासमुन्द को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति बागबाहरा, जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2013

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/8728.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2012-13/30 दिनांक 02-04-2012 द्वारा श्री एस. सी. पदम संयुक्त संचालक कृषि, कृषि उपज मंडी समिति बिलासपुर, जिला-बिलासपुर को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर बिलासपुर के पत्र क्रमांक 940 दिनांक 11-03-2013 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बिलासपुर में माननीय कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रमुख सचिव छ.ग. शासन कृषि विभाग द्वारा सहायक कलेक्टर बिलासपुर को कृषि उपज मंडी समिति बिलासपुर के फल-सब्जी मंडी प्रारंभ करने की जवाबदारी दिये जाने के निर्देश के परिपालन में सहायक कलेक्टर को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, श्री एस. सी. पदम संयुक्त संचालक कृषि बिलासपुर को भारसाधक अधिकारी हेतु जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2012-13/30 दिनांक 02-04-2012 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री एस. सी. पदम संयुक्त संचालक कृषि के स्थान पर श्री चन्दन कुमार सहायक कलेक्टर बिलासपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2013

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2012-13/8925.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/5817 रायपुर, दिनांक 04-01-2012 द्वारा श्री सौमिल रंजन चौबे, अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर को कृषि उपज मण्डी समिति नवापारा, जिला-रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर रायपुर के पत्र क्रमांक 483 दिनांक 11-03-2013 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति नवापारा में श्रीमती आरती वासनिक डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी आरंग को कृषि उपज मंडी समिति नवापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्ति का प्रस्ताव है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, श्री सौमिल रंजन चौबे, अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर का स्थानांतरण जिला-बलौदाबाजार हो जाने के कारण श्री चौबे के स्थान पर श्रीमती आरती वासनिक, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी आरंग को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति नवापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

ए. एन. मिश्रा,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 27 फरवरी 2013

क्रमांक/718/अ.व.लि./2013.—छत्तीसगढ़ शासन सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो अनुक्रमांक-4 के नियम-8 एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 3-2/1999/1/4 दिनांक 30-03-1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं ठाकुर राम सिंह, कलेक्टर बिलासपुर वर्ष 2013 हेतु बिलासपुर जिले के लिए निम्नलिखित तिथियों/दिनों के समक्ष अंकित पर्व/त्यौहार के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं.

अनुक्रमांक	पर्व/त्यौहार का नाम	तिथि/माह	दिन
01	गणेश चतुर्थी	09 सितम्बर 2013	सोमवार
02	पितृमोक्ष अमावस्या	04 अक्टूबर 2013	शुक्रवार
03	दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा)	04 नवम्बर 2013	सोमवार

राम सिंह,
कलेक्टर.